रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 142] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 23, 1971/आश्विन 1, 1893

No. 142] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 23, 1971/ASVINA 1, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 23rd September 1971

SUBJECT.—*Import of goods as personal baggage under 'Non-Tourist' Baggage Rules.*

No. 126-ITC(PN)/71.—Attention is invited to the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 13-ITC(PN)/71, dated the 1st February, 1971 as amended by Public Notice No. 18-ITC(PN)/71, dated the 8th February, 1971 in which the allowances admissible to passengers (other than Tourists) arriving from any country other than Ceylon, Pakistan or Nepal have been announced.

2. Para 4(i) of Public Notice No. 13-ITC(PN)/71, as amended, may be replaced by the following:—

"(1) he has not imported or otherwise acquired a foreign made fire-arms of the same category during the last 10 years. For this purpose, revolvers and pistols will be considered as fire-arms of one category and rifles and guns as fire-arms of another category. In other words, a person who has imported or acquired a foreign made revolver or pistol earlier within a period of 10 years, is not debarred from importing a rifle or gun. Likewise a person who has imported or otherwise acquired a foreign made rifle or gun earlier, is not debarred from importing a revolver or pistol. A passenger can also import one fire-arm of each category *i.e.* revolver/pistol and/or rifle/gun under paras 2(a) and 2(b) of Public Notice 13/71 at a time, if otherwise covered by the allowances admissible under the Public Notice referred to in para 1 above."

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 1971

विषय:—गैर-पर्यटक असबाब नियम के अन्तर्गत व्यक्तिगत असबाब के रूप में माल का आयात ।

सं० 126-आई०टी०सी० (पी० एन०)/71.—सार्वजनिक सूचना सं० आई०टी०सी० (पी० एन०)/71, दिनांक 8 फरवरी, 1971 द्वारा यथा संशोधित विदेश मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 13–आई०टी०सी० (पी० एन०)/71, दिनांक 1 फरवरी, 1971 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें श्रीलंका, पाकिस्तान या नेपाल को छोड़कर अन्य किसी देश से आने वाले यात्रियों (पर्यटकों से भिन्न) के लिए स्वीकार्य छूटों की घोषणा की गई है ।

2. यथा संशोधित, सार्वजनिक सूचना संख्या 13 आई० टी० सी० (पी० एन०)/71, की कंडिका 4 (1) को निम्नलिखित के द्वारा बदला जाए :—

"गत 10 वर्षों के दौरान उसने उसी श्रेणी के विदेश निर्मित अग्न्यस्त्र का आयात नहीं किया है या अन्यथा रूप से उससे प्राप्त नहीं किया है । इस के लिए, रिवाल्वर और पिस्तौल को एक श्रेणी के अग्न्यस्त्र के रुप में तथा राइफल और गन को दूसरी श्रेणी के अग्न्यस्त्र के रुप में समझा जाएगा । दूसरें शब्दों में, एक व्यक्ति, जिसने पहले दस वर्षों के भीतर विदेश निर्मित रिवाल्वर या पिस्तौल का आयात किया है या अन्यथा रूप से प्राप्त किया है उसे राइफल या गन के आयात करने से वंचित नहीं रखा गया है । इसी तरह एक व्यक्ति जिसने विदेश निर्मित राइफल या गन का पहले आयात किया है या अन्यथा रूप

से प्राप्त किया है, उसे रिवाल्वर या पिस्तौल के आयात करने से वंचित नहीं रखा गया है । एक यात्री एक साथ प्रत्येक श्रेणी अर्थात रिवाल्वर/पिस्तौल और/या राइफल/गन में से एक अग्न्यस्त्र का भी आयात सार्वजनिक सूचना संख्या 13 आई० (टी० सी० पी० एन०)/71 की कंडिका 2 (ए) और 2 (बी) के अनुसार कर सकता है, बशर्ते कि उपर्युक्त कंडिका 1 में उल्लिखित सार्वजनिक सूचना के अंतर्गत स्वीकार्य छूटों के अंदर ही वे आ जाते हैं"

एम० एम० सेन,

मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971